

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ० बजरंगसिंह चाहौन, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 26/2016

अपीलान्त

1. गणेश पुत्र लालाजी
2. मनोज पुत्र लालाजी
3. सवाराम पुत्र भुराजी जातिगण माली
निवासीगण सिरोही तहसील सिरोही

बनाम

रेस्पोडेन्ट :-

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-


श्री राजेन्द्र पुरी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

:- निर्णय :-

दिनांक:- 28.2.2018

अपीलान्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व अपील संख्या 110/2016 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.03.2016 एवं न्यायालय तहसीलदार सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 68/2016 में पारित आदेश दिनांक 26.02.2016 के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट के विरुद्ध तहसीलदार सिरोही द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए दिनांक 26.02.2016 को निर्णय पारित कर अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित किया एवं भूमि से भौतिक रूप से बेदखल कर जुर्माना अधिरोपित किया। उक्त प्रकरण में तहसीलदार सिरोही द्वारा दिनांक 26.02.2016 को पेशी नियत करते हुए अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया। विधि अनुसार प्रत्येक पक्षकार को पृथक पृथक नोटिस जारी किया जाना चाहिये, जो नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कहीं भी यह अंकित नहीं है कि कौन कौन व्यक्ति कितनी कितनी भूमि पर काबिज काश्त है। अपीलाण्ट्स को सामूहिक रूप से एक नोटिस जारी किया गया है, जो विधि अनुसार न्यायोचित नहीं है। इसके अतिरिक्त पटवारी हल्का ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें भी यह अंकित नहीं है कि अपीलाण्ट्स कितनी भूमि पर काबिज है। मातहत अदालत द्वारा अपीलाण्ट को प्रथम पेशी पर यह कहते हुए हस्ताक्षर कराये कि आगामी पेशी पर जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करें, इसके पश्चात उसी दिनांक को अपीलाण्ट को जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किए बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया। पत्रावली में पश्चातवर्ती अतिक्रमण बत कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र कयासी आधारों पर निर्णय



राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली


पारित करते हुए अपीलान्ट्स को सजा से दण्डित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलान्ट्स उक्त भूमि पर पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से काबिज है एवं शांतिपूर्वक निवास करते आ रहे हैं। मौके पर अपीलान्ट्स के मकान निर्मित हैं। उक्त भूमि नगर परिषद् क्षेत्र में आती है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स का पुराना कब्जा होने के कारण नियमन की पात्रता में होने से उनका नियमन करना चाहिए, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज किया जाकर जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि नगर परिषद् क्षेत्र में स्थित होने के कारण राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक/ प.6(9)/96/11 दिनांक 29.07.2003 के जरिये संभागीय आयुक्त व जिला कलेक्टर को स्पष्ट रूप से निर्देश जारी किए गए कि स्थानीय निकाय को उनके क्षेत्र में स्थित समस्त राजकीय भूमि का हस्तान्तरण किया जावे, किन्तु तहसीलदार सिरोही द्वारा जानबूझकर राज्य सरकार के आदेशों को अवहेलना करते हुए नगरपरिषद् की समस्त भूमि का स्थायी निकाय में हस्तान्तरण नहीं करने के कारण बिलानाम भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। विभागीय लापरवाही के कारण उक्त भूमि नगरपरिषद् के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई है, मात्र इस कारण तहसीलदार सिरोही को अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। तहसीलदार सिरोही द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विरुद्ध है। चूंकि उक्त भूमि नगरपरिषद् सिरोही के अधिकार क्षेत्र में स्थित होने के कारण उक्त परिपत्र के क्रम में स्वतः ही नगरपरिषद् के अधीन है। नगरपरिषद् द्वारा उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु तहसीलदार सिरोही को किसी प्रकार से निवेदन नहीं किया तथा न ही प्रकरण में नगरपरिषद् को पक्षकार बनाया गया, जबकि नगरपरिषद् उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थी। इन समस्त कारणों से तहसीलदार सिरोही द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह विधि विरुद्ध होने से खारिज योग्य है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट गत 40 वर्षों से काबिज काश्त है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त आर0आर0टी0 2010 पेज 1289 के परिप्रेक्ष्य में अपीलान्ट नियमन की पात्रता रखता है एवं इस हेतु जो भी राजकीय शुल्क देय होता है, वह अपीलान्ट जमा करवाने को तैयार है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में नियमन की कार्यवाही अमल में लाई जानी थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए जैर अपील आदेश के जरिये अपीलान्ट को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया तथा आदेश बेदखली एवं जुर्माना के साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया, जो विधि विरुद्ध है। उक्त निर्णय की प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, किन्तु दोनों ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को किसी प्रकार की राहत प्रदान नहीं की। अतः उपरोक्त समस्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित जैर अपील आदेश को अपास्त करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम सिरोही II के खसरा नम्बर 3016 कुल रकबा 0.02 हेक्टेयर किस्म बंजड की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या 1 में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलान्ट के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये हैं। चूंकि अपीलान्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत

राजस्व अपील प्राधिकारी
माली

प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण को पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम सिरोही II के खसरा नम्बर 3016 रकबा 0.02 हैक्टेयर बंजड की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का सिरोही II द्वारा तहसीलदार सिरोही के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि गणेश मनोज पि० लालाजी, सवाराम पुत्र भूराजी जातिगण माली निवासीगण सिरोही द्वारा उपरोक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया है, इस पर तहसीलदार सिरोही द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 26.02.2016 की तारीख पेशी नियत की। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह स्वयं अपीलाण्ट लालाराम से तामील करवाया गया है, जो सम्यक तामील की परिभाषा में आने से तामील मानते हुए जुर्माना आरोपित किया तथा आदेश बेदखली पारित किये, साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने पर एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया। इस आदेश के विरुद्ध अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही के समक्ष अपील दायर करवाई, जिसमें मातहत अदालत द्वारा अपीलाण्ट की अपील खारिज करते हुए परीक्षण न्यायालय का निर्णय बहाल रखा। उक्त दोनों ही निर्णयों से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। इस सम्बन्ध में परीक्षण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर परीक्षण न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की तलबी हेतु संयुक्त रूप से नोटिस जारी किया गया, जबकि विधि में यह स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक अतिक्रमी/अप्रार्थी का व्यक्तिशः नोटिस जारी किया जाना ही विधि सम्मत है। इसी आशय का सिद्धान्त माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा आर०आर०डी० 1990 पेज 351 नाथू बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में प्रतिपादित किया है, जिसका उद्धरण इस प्रकार है - "Rajasthan Land Revenue Act, Section 91 -- Separate notices should have been served on each trespasser-- Where request is made for actual measurement of land alleged to have been trespassed upon, land should be measured before drawing conclusion whether trespass has occurred or not" इसके अतिरिक्त परीक्षण न्यायालय द्वारा जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट्स का पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए एक माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी विधिवत माना है, जबकि पत्रावली पर ऐसा कोई ठोस प्रमाण ही मौजूद नहीं था, जो जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट्स का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित करता हो तथा न ही ऐसी कोई शहादत उपलब्ध थी, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि उक्त भूमि पर अपीलाण्ट्स द्वारा दुबारा कब्जा किया हो, क्योंकि परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि उक्त भूमि से अपीलाण्ट्स को पूर्व में बेदखल किया गया हो। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर०आर०टी० 2001 (2) पेज 1163 बजरंगा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में यह व्यवस्था प्रदान की है कि "सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने के लिए तहसीलदार एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए आवश्यक था कि पूर्व में आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल किया गया एवं जो बेदखली की



1

कार्यवाही चली, उसके आदेश की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी रेकार्ड पर प्रस्तुत करने, उसके पश्चात् बेदखली के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी रेकार्ड पर लेते एवं उसके आधार पर सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर सकते थे, बिना साक्ष्य के ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता था।" यह सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होता है। हस्तगत प्रकरण में भी पश्चातवर्ती अतिक्रमण किसी भी रूप में साबित नहीं होता है। अपीलाण्ट का अपनी अपील में नियमन हेतु निर्देश जारी कराने का अनुतोष चाहा। इस सम्बन्ध में आर0आर0टी0 2003 (1) पेज 599 बंशी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "प्रार्थी विवादित भूमि पर अतिक्रमी है। धारा 91 की कार्यवाही एक न्यायिक प्रक्रिया है, जबकि भूमि का नियमन एक प्रशासनिक कार्यवाही है, जिस पर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अन्तर्गत राजस्व अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी को नियमन होना चाहिए था अथवा नहीं ? यह धारा 91 की कार्यवाही में देखने की बात नहीं है, क्योंकि यदि प्रार्थी का प्रकरण नियमन योग्य था, तो उसे सम्बन्धित अधिकारी से नियमन कराना चाहिए था। तहसीलदार के समक्ष प्रार्थी का राजकीय भूमि पर अतिक्रमण का प्रश्न है और प्रार्थी अतिक्रमी साबित है। जहां तक प्रार्थी के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का प्रश्न है, यह उपलब्ध रिकार्ड से साबित नहीं हैं कि उसे पूर्व में कब व किस प्रकार से बेदखल किया गया है। निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रार्थी के विरुद्ध बेदखली एवं शास्ती आरोपित करने का आदेश यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास का आदेश निरस्त किया जाता है। हस्तगत प्रकरण पर यह सिद्धान्त पूर्णतः चस्पा होता है। रेस्पोजेण्डेन्स जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट्स का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित करने में पूर्णतः असफल रहे हैं। इस कारण जैर अपील आदेश के जरिये परीक्षण न्यायालय एवं विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय तहसीलदार सिरौही द्वारा प्रकरण संख्या 68/2016 सरकार बनाम गणेश वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 26.02.2016 में अपीलाण्ट्स के विरुद्ध बेदखली एवं शास्ती आरोपित करने के आदेश यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास का आदेश निरस्त किया जाता है। इसी अनुरूप न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही द्वारा अपील संख्या 110/2016 में पारित निर्णय दिनांक 26.03.2016 को भी आंशिक अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.2.2018 को गेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरौही

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर